

11/9/15



76 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



*Signature*  
CU 534389  
6-10-15

1100

### दि पैराडाइस वेलफेयर ट्रस्ट विलेख (INSTRUMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 06.10.2015 को आजमगढ़ में ज्योति सिंह पत्नी राघवेंद्र प्रताप सिंह ग्राम-हीरापट्टी, पोस्ट-हीरापट्टी, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़ उ०प्र० द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक पर ₹0 5100₹0 (पाँच हजार एक सौ ₹0) की मात्र धनराशि है जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यायकर्ता संस्थापक उक्त राशि में अपने सहरणीय न्यास करने हेतु इच्छुक है जो कि उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह दि पैराडाइस वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यायकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाने आदि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप में सफल हो सके। क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल 5100₹0 (पाँच हजार एक सौ ₹0) मात्र की नगद राशि ट्रस्ट में दान की है।

*Jyoti Singh*

*Signature*  
Manager  
Paradise International School



उत्तर प्रदेश में एक गैर न्यायिक स्टंप को पंजीकृत प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-हीरापट्टी, 4391

पोस्ट-हीरापट्टी, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़ उ०प्र० रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा और क्योंकि न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार निम्न प्रकार धारावद्ध एवं घोषित किया जाता है।

उद्देश्य एवं नियमावली-

ट्रस्ट के उद्देश्य-

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगा

पाठशालाओं विद्यालयों महाविद्यालयों पुस्तकालयों वाचनालयों प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों अनाथालयों वृद्धाश्रमों हास्टलों व इसी प्रकार के अन्य केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनको मान्य स्थान से पंजीकृत कराना।

विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक तथा प्रयोगिक कला वाणिज्यिक वैज्ञानिक क्रीड़ा मार्शल आर्ट संगीत तकनीकी सामाजिक आधुनिक भाषा अंग्रेजी उर्दू कम्प्यूटर आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

*Jyoti Singh*

*[Signature]*

Manager  
Paradise International School

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 534392

3

3. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/परिवहन सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।
6. पुस्तकों, सहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों, आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास करना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अदिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठकें, विशेष कक्षाएं छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर कार्य करना।
10. सिलाई कटार, बुनाई, रकीत, मिट्टी आदि कार्यों को शिक्षित करना।

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

RS. 50

FIFTY  
RUPEES

RS. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 820135

1. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजिनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज, बी०एड०, बी०टी०सी० कालेज, नर्स ट्रेनिंग कालेज आई०टी०आई० कालेज सी. बी.एस.सी. बोर्ड, आई.सी.एस.सी. बोर्ड, व यू०पी० बोर्ड के विद्यालय, पुस्तकालय, फार्मसी, फीजियोथेरेपी, आदि संस्थानों की स्थापना करना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लेब टैक्नीशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि करना।

2. व्यक्ति विशेष, सोसायटी / ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को समायोजित / विलय करना।

3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग / अनुदान प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।

4. विधि रागत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

5. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार करना।

6. कृषि पर आधारित उत्पादों पर अनुसंधान करना व उनका प्रचार प्रसार करना।

7. पर्यावरण को सुभारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना।

8. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार करना।

*Jyoti Singh*

*[Signature]*

Manager

Manjiv International School

भारतीय नैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

FIFTY  
RUPEES

₹.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 820137

5-

19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रित करना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित मुल्य/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा, अध्यापक/अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं करना।
22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार करना।
24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।
26. ट्रस्ट संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/इंजिनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) को प्रदान करना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में सहमति करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्याय मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित/विलय किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) माला जायेगी। इसमें मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वाकृत आवश्यक होगी।

Jyoti Singh

Manager

Paradise International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50

FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 820138

27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्मत अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार करना।
29. ट्रस्टी वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा और बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव ससाधन विकास मंत्रालय नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभिव्यञ्जन सेवाओं का संचालन करना।
32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों अनु० जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक, संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थायें महिला कल्याण योजनायें राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने

t. Singh

RD

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

7

AT 820139

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना

33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
34. कृषकों/ग्रामीणों को फूल एवं औषधियों खेती के विषय में जानकारी देना उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लीनिक का निर्माण करना।
36. कोई भी पंजीकृत समिति/संस्था को इस ट्रस्ट में समायोजित/विलय करना एवं उनके उददेश्यों को पूरा करना।
37. ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किसी सरकारी, केन्द्रीय, विदेशी व पंजीकृत संस्थानों से अनुदान अथवा ऋण ग्रहण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक से लोन प्राप्त करना।
38. ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्य या उत्सव जैसे युवा प्रशिक्षण शिविर योग प्रशिक्षण शिविर स्वास्थ्य एवं जीवन शैली कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण, विवाह निकाह जन्मदिवस समारोह सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
39. ट्रस्ट जो भी विद्यालय संचालित करेगा उसमें कक्षा 1 से पहले का पाठ्यक्रम (Kids Paradise---Fun of learning) से सम्बन्धित और कार्यरत होगा। और कक्षा एक से ऊपर (Paradise International School---comitted for excellance) से सम्बन्धित और कार्यरत होगा।

Jyoti Singh

Manager

Paradise International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50

FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(8)

AT 820140

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. प्रारम्भिक उपबन्ध -

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से ज्योती सिंह को न्यास कर्ता व इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा (1) परमहंस सिंह पुत्र स्व० श्री शंकर सिंह निवासी ग्राम व पो० हीरापट्टी तह० सदर आजमगढ़ (2) सच्चिदानन्द सिंह श्री स्व० शंकर सिंह निवासी ग्राम व पो० हीरापट्टी तह० सदर आजमगढ़ (3) श्री जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व० शंकर सिंह निवासी ग्राम व पो० हीरापट्टी तह० सदर आजमगढ़ व

Jyoti Singh



APM

Manager  
Pacific International School



भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹.50

FIFTY  
RUPEES

RS.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH** श्री परमहंस सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर **Ab 345660**  
५ राधेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र

- आजमगढ़ 5 रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री परमहंस सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर आजमगढ़ 6. राजीव रत्न सिंह पुत्र परमहंस सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर आजमगढ़ 7. श्री रवि प्रताप सिंह पुत्र परमहंस सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर आजमगढ़ 8. राजेश्वर प्रताप सिंह पुत्र सचिदानन्द सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर आजमगढ़ 9. रामप्रताप सिंह पुत्र सचिदानन्द सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर आजमगढ़ 10. रितेश सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह ग्राम व पो० हीरापट्टी सदर आजमगढ़ ट्रस्टी होंगे।

Jyoti Singh



*[Signature]*  
Manager  
Paradise International School

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
₹.50

FIFTY  
RUPEES  
RS.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

AL 345661

2. किसी भी नये ट्रस्टियों के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 5100.00 पांच हजार एक सौ रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टियों के समक्ष रखा जायेगा। ट्रस्टियों द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत होने पर ही उन्हें ट्रस्टी बनाया जायेगा व किन्ही कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदन की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
3. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्तें निम्न हैं—मृत्यु, ट्रस्ट विरुद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने पर, पामल होने पर, व्यवहारी होने पर त्याग पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्काशित किया जा सकता है।
4. ट्रस्ट में कम से कम दो व अधिकतम दस सदस्य होंगे।
5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी या बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा। यद्यपि इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति न मिलने की स्थिति में उसे फिर संसोधन के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

Jyoti Singh



Manager  
Pentagon International School

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 347079

### 3. मैनेजिंग ट्रस्टी

1. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो ज्योति सिंह की मृत्यु के पश्चात् श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री परमहंस सिंह निवासी ग्राम व पो0 हीरापट्टी तह0 सदर जिला आजमगढ़ व श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र परमहंस सिंह ग्राम व पो0 हीरापट्टी सदर आजमगढ़ इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नवनियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को छः माह के अन्दर ट्रस्टियों का बहुमत प्राप्त करना होगा अन्यथा किसी अन्य स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिंग ट्रस्टी के चयन होने तक श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री परमहंस सिंह निवासी ग्राम व हीरापट्टी तह0 सदर जिला आजमगढ़ व श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र परमहंस सिंह ग्राम व पो0 हीरापट्टी सदर आजमगढ़ मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे।

2. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त जायेंगे जो कि वर्तमान ट्रस्ट डीड का प्रदत्त किये गये हैं।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनका कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को याचना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विचार पर निर्भर करता है इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Jyoti Singh

10/4  
Manager  
Paradise International School

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपय

₹.50

FIFTY  
RUPEES

RS.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12

AL 345662

6. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टियों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तांतरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे अपनी जगह इस ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी को मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टियों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

## 4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज -

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 10 सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टियों की राय/ बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनग्रह तक/ जीवन मर्यादत कार्य कर सकते हैं।

Jyoti Singh

Paradise International School

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

AL 345664

5. मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार— मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 3 ट्रस्टियों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन, शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति के आधार पर कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट हित में चल-अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय, दान, गिरवी, भाड़ा दे सकता है व ले सकता है।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं— ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।
7. कार्य क्षेत्र— ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।
8. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति— यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

Jyoti Singh

Manager

Paradise International School

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹.50

FIFTY  
RUPEES

RS.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14

AL 345665

12. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

13. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक जीवन पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टियों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तथा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

## 9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक जीवन पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त समय पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है।

Jyoti Singh

Manager

Parvati International School

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 15

AL 345666

अथवा उक्त कार्यस्त व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

## 10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

- (क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- (ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रखा करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
- (ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

## 11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

*Jyoti Singh*

*[Signature]*

Manager  
Pandita International School

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

AL 345667

## 12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं दत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।
1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी रूपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गति विधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजक/निर्देशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त करना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

Jyoti Singh

  
Manager  
Paradise International School



भारतीय वैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50

FIFTY  
RUPEES  
RS. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 345668

विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

4. बैंक एकाउण्ट-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा संचालित किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यालय/बी.टी.सी. कालेज/बी.एड. कालेज/नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज/आई.टी.आई. कालेज/संस्थाप/बोर्ड/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

Jyoti Singh



Paradise International School

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18

30AA 333704

15. विधिक कार्यवाही— संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं या उसकी अनुमति से कोई अन्य ट्रस्टी अधिवक्ता को नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करेगा।
16. सम्पत्ति सम्बन्धी—
1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
  2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
  3. ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
  4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है ले सकता है अथवा दे सकता है।
  5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान उपहार, आगह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, सृष्टि चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
  6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

Jyoti Singh

ROM

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19

30AA 333708

7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (Licence), बन्धक (Mortgage), भारित (charge), गिस्वी (Pledge), विभाजीत (Partition), आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।
8. ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टियों को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की तरफ से चन्दा या धन इत्यादि प्राप्त कर ट्रस्ट के खाते में जमा कर सकते हैं, परन्तु वह ट्रस्ट पर किसी प्रकार का ऋण या किसी प्रकार का दायित्व नहीं ग्रहण कर सकते हैं।
9. यदि असामान्य परिस्थितियों में ट्रस्टियों की राय या परिस्थितिवश में ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्टियों में वितरित न हो कर सामान्य सदृश्य वाली किसी अन्य ट्रस्ट में हतान्तरित कर दी जायेगी।

Jyoti Singh



  
Manager  
Sankar International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AA 333691

17. विषेश-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट "दि पैराडाइस वेलफेयर ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

Jyotsingh

ADU

Manager  
Paradise Welfare Trust

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मैनेजिंग ट्रस्टी के किये/किये जा सकने वाली/किये जा सकने वाली में इस ट्रस्ट  
उत्तर प्रदेश के किसी/किसी प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा 30AA 333709

प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में  
मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

यह कि (दि पैराडाइस वेल फेयर ट्रस्ट ) न्यास की उक्त न्यास  
विलेख (INSTRUMENT OF TRUST) के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्  
द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं कियान्वित की जाती  
है। कि उक्त न्यास विलेख (INSTRUMENT OF TRUST) को पढ़कर  
एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर  
दिये गये हैं।

Jyoti Singh

  
Manager  
Paradise International School



10/11/2015 27 20-08  
400-2143  
पुस्तक विभाग  
काठमाडौं

न्यासी

Registration No.: 119 Year: 2015 Book No.: 4

0101 ज्योति सिंह  
राधेन्द्र प्रताप सिंह  
साँ व पो० हीरापट्टी फा० नि०सद० तह० सहर जिला काठमाडौं  
सुदौपी

*Jyoti Singh*



*DDH*



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹. 20

Rs. 20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22

Jyoti Singh

30AA 333710

ज्योति सिंह

मैनेजिंग ट्रस्टी

(दि पैराडाइस वेल फॉयर ट्रस्ट)

तैयारकर्ता-

नग्नीना सिंह

टाइपकर्ता-

उमेश चन्द प्रजापति।

साक्षीगण

नाम शोभा लिटिंग एंड प्रिंटिंग

पता हरदोय नगर

उमराडा आवासीय

नाम

पता

बालकृष्ण उदा सहकर

आ. नो. 100 वी. ई. ई.

वस्ती 302142

आ. ज. म. ग. ड.

AM

Manager  
Paradise International School

नं 32 of 2017 6-20-085  
44/158/17  
राजस्थान सरकार  
शिक्षण विभाग  
जयपुर

आज दिनांक 06/10/2015 को  
वही नं 4 जिल्द नं 158  
पृष्ठ नं 1 में 44 पर क्रमांक 119

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



आर0के0 यादव

उपनिबन्धक सदस्य

आजमगढ

6/10/2015

  
Manager  
Paradise International School

